

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक- 28.09.2020

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल – 30 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा- 151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया ।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

01. थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. किशुन लाल पुत्र छाडू, 02. विवेक सिंह पुत्र कपिल नि०गण मझारा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 291 / 20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

02. थाना करनैलगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. इम्तियाज अली पुत्र मुनीजर नि० पतिसा थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 389 / 20, 02. किस्मत अली पुत्र वारिस अली नि० पतिसा थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 390 / 20, 03. अजमत अली पुत्र वारिस अली नि० पतिसा थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 391 / 20, 04. कामता पुत्री स्व० बच्चन नि० खालेपुरवा थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 392 / 20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

03. थाना को०नगर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. सहदेव पुत्र कन्हई लाल नि० इमिलिया गुरुदयाल थाना को०नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 743 / 20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

नाजायज चाकू के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा । सोमवार जनपद गोण्डा के थाना धानेपुर पुलिस ने गश्त के दौरान 01 अदद नाजायज चाकू के साथ अभियुक्त रामदेव पुत्र मस्तराम नि० औदान पुरवा थाना धानेपुर जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर मु०अ०सं०- 293 / 20, धारा 4 / 25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया ।

थाना को0नगर पुलिस ने जुआ खेलते 04 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

गोण्डा । सोमवार जनपद गोण्डा के थाना को0नगर पुलिस ने 04 अभियुक्तों- 01. विशाल शुक्ला पुत्र राजेश कुमार शुक्ला, 02.अखिलेश तिवारी पुत्र इन्द्र प्रकाश तिवारी नि0गण शुकुलपुरवा, 03. छंगा लाल गुप्ता पुत्र रामकुमार गुप्ता नि0 ददुआ बाजार, 04.रमेश पुत्र होली कोरी नि0 बरियार पुरवा थाना को0नगर जनपद गोण्डा को सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते समय गिरफ्तार कर लिया गया ।

प्रभारी निरीक्षक को0नगर ने बताया की दिनांक 27.09.2020 को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्ति को0नगर क्षेत्र में अलग- अलग स्थानों पर जुआ खेल रहे हैं, मुखबिर की सूचना व निशानदेही पर पुलिस बल द्वारा दबिश देकर मौके से उक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 52-52 ताश के पत्ते व फड़ से रु0 410/-, रु0 252/-, रु0 610/- कुल रु0 1272/- बरामद कर अभियुक्तों के विरुद्ध थाना को0नगर में 13 जुआ अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया ।

लोकसेवक पर हमला करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा । सोमवार जनपद गोण्डा के थाना मोतीगंज पुलिस ने लोकसेवक पर हमला करने के आरोपी अभियुक्त- विश्वनाथ पुत्र हरिश्चन्द्र मिश्रा नि0 सीहा गाँव थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा को थाना मोतीगंज में पंजीकृत मु0अ0सं0- 248 / 20, धारा 332.352.353.504 भादवि0 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया ।

उक्त अभियुक्त ने दिनांक 27.09.2020 को सीहा गाँव में खलिहान की जमीन की पैमाइश करने आयी राजस्व टीम पर हमला कर दिया था जिसके संबंध में विरेन्द्र कुमार लेखपाल हल्का क्षेत्र सीहा गाँव द्वारा थाना मोतीगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया था । जिसमें मोतीगंज पुलिस ने कार्यवाही करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया ।

दुष्कर्म करने का वांछित आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा । सोमवार जनपद गोण्डा के थाना को0नगर पुलिस ने दुष्कर्म करने के वांछित आरोपी अभियुक्त – नानबाबू पुत्र लक्ष्मी नारायण नि0 मुसौली थाना को0नगर जनपद गोण्डा को थाना को0नगर में पंजीकृत मु0अ0सं0- 731 / 20, धारा 376.506 भादवि0, 3 / 4 पॉक्सो एक्ट व 3(2)V एस0सी0एस0टी0 एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया ।

उक्त अभियुक्त ने थाना को0नगर क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया था । जिसके संबंध में राम बहोरे पुत्र सोमल नि0 मुसौली थाना को0नगर जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0नगर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था । जिसमें को0नगर पुलिस ने तत्काल कार्यवाही करते हुए उक्त वांछित आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया ।

अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. रमेश पुत्र छविनाथ नि0 बनूआ थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा ।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 285 / 20, धारा 3 / 25 आर्म्स एक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा ।

बरामदगी-

01. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर ।

02. 01 अदद अवैध रिवाल्वर 32 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर ।

संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 28.09.2020 को थाना परसपुर के व0उ0नि0 उमेश कुमार वर्मा पुलिस टीम के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्त को बनूआ चौराहा के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस, 01 अदद अवैध रिवाल्वर 32 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर बरामद किया गया । अभियुक्त को गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना परसपुर में अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया ।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. व0उ0नि0 उमेश कुमार वर्मा ।

02. का0 अजय पाण्डेय ।

03. का0 विकास वर्मा ।

